श्री सूरत वलसाड जिला के.एम.जी. परिषद

बनाम

भारत संघ और अन्य

09 मई, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कन्डेय काटजू, जे.जे.]

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950- अनुसूची 1- अनुसूची का संशोधन- गुजरात के वलसाड़ जिले के तालुका उमरगांव एवं डांग जिले के बाहर उपजाति 'मोची' को छोड़कर- की वैधता- अभिनिर्धारित: संशोधन वैध है- 1950 का आदेश व्यापक है- यह किसी विशेष क्षेत्र में जाति 'मोची' को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के निर्णय देने के संबंध में न्यायालय द्वारा अपनी राय देने के लिए नहीं है- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 2 संशोधन, 2002- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद-341- न्यायिक समीक्षा।

सार्वजनिक वितरण- पेट्रोलियम उत्पादों में डीलरशिप- अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए आरक्षित- का आवंटन- 'मोची' जाति- से संबंधित उम्मीदवार के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के संशोधन द्वारा जाति 'मोची' को अनुसूचित से बाहर रखा गया- आवंटन की वैधता- अभिनिर्धारितः संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के संशोधन को देखते हुए डीलरशिप निरस्त किये जाने योग्य है।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 2 संशोधन, 2002, के द्वारा, गुजरात राज्य में वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका एवं डांग जिले के बाहर 'मोची' जाति को संविधान की (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की अनुसूची I से बाहर रखा गया था। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को गुजरात राज्य द्वारा दिनांक 18.02.2003 के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया। संशोधन और संकल्पों को चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने उसकी वैधानिकता को पुष्ट किया इसलिए, दोनों अपीलें दाखिल की गईं हैं।

तीसरी अपील पेट्रोलियम उत्पादों में डीलरशिप प्रदान करने से संबंधित है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित डीलरशिप को अपीलार्थी के लिए आवंटित किया गया था, जो 'मोची' जाति की उप-श्रेणी से संबंधित था। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची I से उपजाति को बाहर रखने के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2003 को ध्यान में रखते हुए आवंटन को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आवंटित डीलरशिप निरस्त कर दी।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:
1.1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में घोषित करने के संबंध में प्रावधान है। इसका उद्देश्य उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए

संरक्षण प्रदान करना है जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में उल्लेखित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (1) में केवल भारत के राष्ट्रपति को समुचित अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 341 (1) व्यापक है, इसलिए, यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपनी राय दें कि राष्ट्रपति मोची जाति को विशेष क्षेत्र में सीमित करने में सही थे। इस प्रकार, आक्षेपित विधान को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोई मामला बनना नहीं पाया जाता। [पैरा 9, 10 और 11] [262-ई, एफ, जी]

1.2. इस तरह के मामलों में उच्चतर न्यायालयों को एक विस्तृत शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद की विधायी शक्ति विशेष प्रकृति की है और यह परिपूर्ण नहीं है। [पैरा 6] [261-ए]

1.3. अनुच्छेद 341 के कारण भारत का संविधान राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा जाति, नस्ल, जनजाति या उसके भाग को या जाति, नस्ल, जनजाति के समूह को राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संदर्भ में अनुसूचित जाति के रूप में मानने के लिए अधिकारिता प्रदान करता है। ऐसी अधिसूचना खण्ड (1) के अंतर्गत जारी की जाती है और इसे अनुच्छेद 341 के खण्ड (2) के द्वारा राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य के

द्वारा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब कभी राज्य बने, तब राषट्रपति को उस राज्य के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार था और ऐसी अधिसूचना उस राज्य के लिए पूर्व से विद्यमान अधिसूचना का बदलाव नहीं होगी, अपितु नई अधिसूचना होगी, जो जारी होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा बदली नहीं जा सकती। यह एक सम्मिश्रित योजना प्रदान करती है। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के लिए रूपरेखा राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकने के लिये निर्धारित की गई है जिसके लिये राज्यपाल के साथ परामर्श करना आवश्यक है। संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति को विनिर्दिष्ट किया गया है। शक्ति का प्रयोग न केवल जाति या समूह के किसी हिस्से के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका प्रयोग राज्य के किसी हिस्से के लिए भी किया जा सकता है। [पैरा 4] [260-डी, ई, एफ, जी]

निर्णय ई.वी. चिन्नै बनाम आंध्रप्रदेश राज्य, एआईआर 2005 एससी 162: [2005]1 एससीसी 394 व महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद व अन्य, [2001] 1 एससीसी 4, का संदर्भ लिया गया।

2. प्रश्नगत डीलरशिप अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। अपीलार्थी उक्त श्रेणी से बाहर है। केवल इसलिए कि एक आशय पत्र अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया था, संवैधानिक योजना

को ध्यान में रखते हुए यह नहीं होना चाहिए था कि इसे जारी रखा जाये। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 को नये सिरे से डीलरशिप के आवंटन के लिए एवं पेट्रोलियम उत्पादों में विधि अनुरूप डीलरशिप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने के लिये निर्देशित किया गया। [पैरा 16 और 17] [263-ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील संख्या 2412/2007

विशिष्ट सिविल आवेदन संख्या 6165/2003 में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2004 से

के साथ

सिविल अपील सं. 2413 और 2414/2007

विमल चंद्र एस. दवे, पी.एच. पारेख, समीर पारेख, डी.पी. मोहन्ती, सलीन मेहता और सुमित लाल (पी.एच. पारेख एण्ड कम्पनी) अपीलार्थी के लिए

मोहन परसरान, ए.एस.जी., चिदानन्द डी.एल., नवीन प्रकाश, गौरव अग्रवाल, डी.एस. मेहरा, सरोज रायचूरा, एच.ए. रायचुरा, सी.जी. शिवाकुमारन, हजेफा अहमदी, नकुल दिवान, इजाज मकबूल, विकास सिंह, तरूण सिंह, हेमन्तिका वाही, शिवान्गी, एस.सी. पटेल और ए.के. सांघी प्रतिवादी के लिए

यह निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा प्रतिपादित किया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश द्वितीय संशोधन 2002 की वैधता, जिसके द्वारा और जिसके तहत गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले उमरगांव तालुका और डांग जिले के बाहर मोची को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, के अनुसूची 1 से बाहर रखा गया था, को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इसकी वैधता को बरकरार रखा गया।

> "29. पूर्ववर्ती कारणों से, 2002 के आक्षेपित संशोधित अधिनियम को और 1950 के आदेश की विभिन्न प्रविष्टि संख्या 4 में मोची जाति के संदर्भ में क्षेत्र प्रतिबंध को याचिकाकर्ता की चुनौती, साथ ही साथ आक्षेपित सरकारी संकल्प दिनाँक 18.02.2003 विफल हो गया है और याचिकाकर्ता एवं सहायक प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से उठाये गये तर्कों में कोई सार नहीं है। इसलिये याचिका खारिज की जाती है। नियम समाप्त किया जाता है। हर्जे-खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 निम्न प्रकार हैः

> "341. अनुसूचित जातियां-

(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमे युवाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें युवाओं को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

4. उपर्युक्त प्रावधान के कारण संविधान राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जाति, नस्ल या जनजाति या उसके भाग या जाति, नस्ल, जानजाति के समूह को उनके उद्देश्य के लिए राज्य या केन्द्र

शासित प्रदेश के संदर्भ में अनुसूचित जातियां मानी जाये, को विर्निदिष्ट किये जाने का प्राधिकार प्रदान करता है। ऐसी अधिसूचना खण्ड (1) के अंतर्गत जारी की जाती है और इसे अनुच्छेद 341 के खण्ड (2) के द्वारा राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य के द्वारा पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब कभी राज्य बने तब राषट्रपति को उस राज्य के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार था और ऐसी अधिसूचना उस राज्य के लिए पूर्व से विद्यमान अधिसूचना का बदलाव नहीं होगी, अपितु नई अधिसूचना होगी जो जारी होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा बदली नहीं जा सकती। यह एक सम्मिश्रित योजना प्रदान करता है। अनुच्छेद 341 के अंतर्गत सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के लिए रूपरेखा राष्ट्रपति को उस राज्य के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकने के लिये निर्धारित की गई है जिसके लिये राज्यपाल के साथ परामर्श करना आवश्यक है। संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति को विनिर्दिष्ट किया गया है। शक्ति का प्रयोग न केवल जाति या समूह के किसी हिस्से के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका प्रयोग राज्य के किसी हिस्से के लिए भी किया जा सकता है।

5. केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 18.12.2002 को जारी अधिसूचना द्वारा वलसाड़ जिले के उमरावगांव तालुका एवं डांग जिले को छोड़कर गुजरात राज्य के लिए प्रविष्टि 'मोची' हटाई जा चुकी है। गुजरात महाराष्ट्र

राज्य ने 18.02.2003 को उक्त अधिसूचना को अपनाया और इसे दिनांक 18.12.2002 को लागू किया गया।

6. हालांकि अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि उच्चतर न्यायालयों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसद की विधायी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के तहत विशेष प्रकृति की है न कि परिपूर्ण, ऐसे मामलों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हम सहमत नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई सूची सजातीय समूह का एक वर्ग बनाती है। केवल एक सूची राष्ट्रपति द्वारा तैयार की जानी है और यदि कोई संशोधन करना है तो वह संसद द्वारा किया जाता है। यहां तक कि राज्य के पास इसे बदलने की कोई विधायी क्षमता भी नहीं है।

7. यह प्रश्न ई.वी. चिन्नै बनाम आंध्रप्रदेश राज्य एआईआर 2005 एससी 162: [2005] 1 एससीसी 394, में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया किः

> ”13. हम पहले संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रभाव पर विचार करेंगे और जांच करेंगे कि क्या राज्य सबसे कमजोर लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने की आड़ में

राष्ट्रपति सूची में उल्लिखित जातियों को उपविभाजित करके विभिन्न समूहों में राष्ट्रपति सूची के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अनुच्छेद 341 जो कि संविधान के भाग 16 में है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में संदर्भित करता है जिसमें अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं। यह अनुच्छेद विहित करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा किसी भी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के जातियों, नस्ल, जनजाति या जातियों, नस्ल और जनजाति के कुछ भागों या उसके समूहों को विर्निदिष्ट कर सकते हैं जो राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के संदर्भ में इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी। यह इंगित करता है कि किसी राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जाति की केवल एक सूची हो सकती है और उस सूची में उस राष्ट्रपति सूची में अधिसूचित सभी विनिर्दिष्ट जातियां, नस्ल, जनजाति या उसके भाग या समूह शामिल होने चाहिए। उक्त सूची में कोई भी समावेशन या बहिष्करण संविधान के अनुच्छेद 341(2) के द्वारा संसद द्वारा किया जा सकता है। पूरे संविधान में जहां कहीं भी "अनुसूचित जातियों" का संदर्भ दिया गया है, वह केवल अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति

द्वारा तैयार की गई सूची को संदर्भित करता है और अनुच्छेद 330, के सीमित उद्देश्यों के अलावा उक्त सूची में कोई भी उपवर्गीकरण या विभाजन का संदर्भ नहीं है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण को संदर्भित करता है जो इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 341 से भी यह स्पष्ट है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा सूची में बहिष्करण या शामिल करने की शक्ति को छोड़कर इन जातियों को उपविभाजित, उपवर्गीकृत या उपसमूह को करने का कोई प्रावधान नहीं है जो अनुसूचित जाति की राष्ट्रपति सूची में पाये जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि संविधान का उद्देश्य सूची में उल्लिखित उपजातियों, नस्लों और जनजातियों सहित सभी जातियों को संविधान के उद्देश्य के लिए एक समूह का सदस्य बनाना है और इस समूह के किसी भी उद्देश्य के लिए उपविभाजित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में संविधान सभा का संदर्भ इस स्तर पर उपयोगी हो सकता है।"

8. हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद व अन्य [2001] 1 एससीसी 4, में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राय दी थीः-

"11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत विहित शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति को पहली बार जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों, जनजातियों के समूह या भाग को निर्दिष्ट करते हुए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है जो संविधान के उद्देश्यों के लिए किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में जैसा भी मामला हो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मानी जायेगी। अनुच्छेद 341 और 342 की भाषा और शर्तें समान हैं जो अनुच्छेद 341 के संबंध में कहा गया है जो यथोचित परिवर्तन के साथ अनुच्छेद 342 पर लागू होता है। उक्त अनुच्छेदों का सराहनीय उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है जिससे वे काफी समय से पीड़ित हैं। 'अनुसूचित जाति' या 'अनुसूचित जनजाति' अभिव्यक्ति में 'जाति' या 'जनजाति' शब्द का उपयोग शब्दों के सामान्य अर्थ में नहीं किया जाता है बल्कि अनुच्छेद 366 (24) और 366 (25) में विहित परिभाषाओं के अर्थ में किया जाता है।"

9. भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के संदर्भ में संविधान कुछ जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। उक्त प्रावधानों का उद्देश्य अनुसूचित जाति आदेश और अनुसूचित जनजाति आदेश में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग को आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को ध्यान रखते हुए सुरक्षा प्रदान करना है जिससे वे पीड़ित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के अनुसार केवल भारत के राष्ट्रपति इसके लिए उचित अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत हैं। अनुच्छेद 341 (1) के संदर्भ में बनाया गया संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 परिपूर्ण है।

10. इसलिए, यह, न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपनी राय दे कि राष्ट्रपति मोची जाति को किसी विशेष क्षेत्र में शामिल करने को सीमित करने में सही थे।

11. इसलिए, हम, उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि आक्षेपित विधान को असंवैधानिक घोषित करने का कोई मामला नहीं बनता है।

12. हांलाकि, हम, देख सकते हैं कि 2004 की एस.एल.पी.(सी) संख्या 9198 से उत्पन्न सिविल अपील पेट्रोलियम उत्पादों से डीलरशिप अनुदान से संबंधित है। यह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। अपील का अपीलार्थी एक उम्मीदवार था। अपीलार्थी और

प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनों 09.09.2023 को डीलरशिप के आवंटन के लिए आयोजित साक्षात्कार में उपस्थित हुए। अपीलार्थी को मैरिट लिस्ट में नं. 1 पर रखा गया जबकि प्रत्यर्थी नं. 1 को नम्बर 2 पर रखा गया।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष इस आधार पर अभ्यावेदन किया कि अपीलार्थी का चयन उचित नहीं था क्योंकि वह दिनांक 18.02.2003 के संकल्प के अनुसार मोची की उपश्रेणी से संबंधित था। प्रतिवादी संख्या 1 ने एक विशिष्ट सिविल आवेदन संख्या 2003 की 14660 प्रतिवादी संख्या 2 की कार्यवाही अपीलार्थी को एस.आई. संख्या 1 में रखने को अपास्त करने के लिए दायर किया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 22.03.2004 द्वारा इसकी अनुमति दी गई।

14. प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 06.05.2004 को आशय पत्र जारी किया गया और 13.05.2004 को एक आवंटन पत्र जारी किया गया।

15. हांलाकि, इसी बीच समस्त गुजरात राज्य मोची समाज (2004 की एस.एल.पी. (सी) संख्या 9063 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता) द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें गुजरात राज्य द्वारा जारी संकल्प दिनांक 18.02.2003 को चुनौती दी गई थी जिसे आक्षेपित निर्णय दिनांक 05.02.2004 द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार 2004 की एस.एल.पी. (सी) संख्या 8539 से उत्पन्न सिविल अपील का अपीलार्थी हमारे सामने हैं।

16. चूंकि 2004 की एस.एल.पी संख्या 9198 से उत्पन्न सिविल अपील का मामला डीलरशिप प्रदान करने से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता तर्क करेंगे कि हम मुख्य मामले में निर्णय के बावजूद उक्त अनुदान को जारी रखने का निर्देश दे सकते हैं। आक्षेपित डीलरशिप अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। अपीलार्थी को उक्त श्रेणी से बाहर रखा गया। यदि ऐसा है तो हमारी राय में केवल इसलिए कि अपीलार्थी के पक्ष में आशयपत्र जारी हो चुका है, उसे संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए जारी रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

17. इसलिए, हम, निर्देश देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 गुजरात राज्य पाटन में डीलरशिप आउटलेट को नये सिरे से आवंटित करने और कानून के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों में डीलरशिप प्रदान करने के लिए आगे बढ़ेगा।

18. उपर्युक्त कारणों से, यह अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाता है।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिल्पी बंसल' (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।